

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)  
देहरादून :: दिनांक:: 31 मार्च, 2015

—: विज्ञापित :-  
(नियम 11(12) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 के उपनियम (6) में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या 1 व क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट उन ब्यौहारी अथवा व्यक्तियों, जिनके द्वारा इस आदेश के जारी होने की तिथि तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी हो, द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 व आगे के वर्षों के लिए वार्षिक विवरणी प्रारूप-4 (संशोधित) में उपबन्धों (जो ऑनलाईन अनिवार्य है) सहित की प्रस्तुति, वैबसाईट पर ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऑनलाईन पद्धति को सुचारु रूप से क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से वर्तमान में विहित वार्षिक विवरणी के प्रारूप-4(संशोधित) में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है तथा संशोधनोपरान्त संशोधित प्रारूप-4, संशोधित अनुलग्नकों सहित विभागीय वैबसाईट <http://comtaxappl.uk.gov.in> पर log in करने के उपरान्त New offline Annual Return (2013-14) onwards के अन्तर्गत ~~संशोधित~~ <sup>Download</sup> हेतु उपलब्ध है।

उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि वैबसाईट पर जनित 'स्वीकृति पत्र' (Acknowledgement) की Hard copy की हस्ताक्षरित प्रति व स्वीकृति पत्र में घोषित समर्थक दस्तावेजों सहित वार्षिक विवरणी प्रारूप-4 (संशोधित) अपलोड किए जाने की तिथि से पाँच कार्यालय दिवसों के भीतर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे परन्तु वार्षिक कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी होने पर पाँच दिन की सीमा लागू नहीं होगी। वार्षिक विवरणी ऑनलाईन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश मुख्यालय आई0टी0 अनुभाग द्वारा पृथक से विज्ञापित किए जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त प्रारूप-IV(A)(संशोधित), IV (B)(संशोधित-1), IV (C) (संशोधित) अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भाँति Manually दाखिल किए जाते रहेंगे।

  
(दिलीप जावलकर)  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0व दिनांक उक्त।  
प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 3- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 4- एडिशनल कमिश्नर (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।